NSE

National Stock Exchange of India Limited

'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

सार्वजनिक सूचना

SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 के विनियम 32 (3) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए सार्वजनिक सूचना

SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 (विनियम) के विनियम 32 (3) के अनुसार और प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 21(ए) के तहत बनाए गए नियमों और उपनियम के नियमों, और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के विनियमन (एक्सचेंज) के अनुसार, यह सूचना दी जा रही है कि एक्सचेंज ने नीचे उल्लिखित 4 कंपनियों को डीलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि उक्त कंपनियों ने उनकी सिक्युरिटीज़ को डीलिस्ट करने के लिए हमेशा कारण उत्पन्न किए हैं यानी SEBI (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण उक्त कंपनियों की सिक्युरिटीज़ में ट्रेडिंग को छः महीनों से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया है और इस संबंध में SEBI/एक्सचेंज द्वारा कई सर्कुलर जारी किए गए हैं.

एक्सचेंज द्वारा कंपनियों को एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स अनुसार उनके पिछले ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल पते पर शो कॉज़ नोटिस (कारण बताओ सूचना) जारी किया गया है, जिसमें उन कंपनियों से कारण बताने के लिए कहा जा रहा है कि क्यों कंपनी के इक्विटी शेयर्स को एक्सचेंस से अनिवार्य रूप से डीलिस्ट (सूची से हटाया जाना) नहीं किया जाना चाहिए. इन कंपनियों की सूची, एक्सचेंज के रिकॉर्ड अनुसार उनके पिछले ज्ञात पते के साथ नीचे दी गई है:

अनु क्रं	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
1	ऑटोलाइट (इंडिया) लिमिटेड	डी-469, रोड नं. 9-ए, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर - 302013
2	सीकेपी लियशर लिमिटेड	शॉप नं. 3, दूसरी मंजिल, दींह सेंट्रल मॉल, डीमार्ट के पास, महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम, मुंबई - 400059
3	कारुतुरी ग्लोबल लिमिटेड #	204, एम्बेसी सेंटर, 11 क्रीसेंट रोड, बैंगलोर - 560001
4	यूरो सेरामिक्स लिमिटेड #	सर्वे नं. 510, 511, 512, 517/1, भचाऊ, दुधई रोड, भचाऊ (कच्छ)- 370140

* यह पता, एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स अनुसार उपलब्ध है

यह कंपनी परिसमापन के तहत है और इसलिए असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 34 के परिणाम इस कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध करने के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपरोक्त कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से रोक दिया जाएगा. इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में ले जाया जाएगा (परिसमापन के तहत वाली कंपनियों को छोड़कर)
- असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम के विनियम 34 के संदर्भ में,
  1. डीलिस्टेड कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और वे कंपनियां जो उनमें से किसी के भी द्वारा संप्रवर्तित हो, इस प्रकार असूचीबद्ध होने की तारीख से दस वर्षों की अवधि तक, प्रतिभूति बाजार (सिक्युरिटीज़ मार्केट) में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं रखेंगे या किन्हीं इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध कराने की मांग नहीं करेंगे या प्रतिभूति बाजार में मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के रूप में कार्य नहीं करेंगे.
  2. ऐसी कंपनी के मामले में, जिसका उचित मूल्य धनात्मक (पॉज़िटिव) हो -
     - ए. ऐसी कंपनी और निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी), संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के पास रखे किन्हीं इक्विटी शेयरों का अंतरण (ट्रांसफर), बिक्री, गिरवी, आदि के जरिए, तब तक नहीं करेंगे, और संप्रवर्तकों/ संप्रवर्तक समूह के सभी इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी फायदों (कॉर्पोरेट बेनिफिट्स) जैसे लाभांश (डिविडेंड), अधिकार (राइट्स), बोनस शेयर, विभाजन (स्प्लिट), आदि पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक ऐसी कंपनी के संप्रवर्तक इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का विकल्प (एक्ज़िट ऑप्शन) प्रदान न कर दें, जैसा कि संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया हो.
     - बी. जिस कंपनी को अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया हो उसके संप्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज़) से संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तब तक किसी सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनी के निदेशक बनने के लिए भी पात्र नहीं होंगे, तब तक खंड (ए) के अनुसार निकास का विकल्प (एक्ज़िट ऑप्शन) प्रदान न कर दिया जाए.
- असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम के विनियम 33 के संदर्भ में,
  1. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किए जाने हों, वहां मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र मूल्यांकक (मूल्यांककों) को नियुक्त करेगा जो असूचीबद्ध किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य तय करेगा.
  2. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांककों का एक पैनल बनाया जाएगा, और उस पैनल में से उप-विनियम (1) के उद्देश्यों से मूल्यांकक नियुक्त किया जाएगा.
  3. असूचीबद्ध किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य मूल्यांकक (मूल्यांककों) द्वारा, SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 के विनियम 20 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित कारकों के संबंध में, तय किया जाएगा.
  4. कंपनी का प्रोमोटर (प्रोमोटर्स) असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों को मूल्यांकक द्वारा तय किया गया मूल्य, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध किए जाने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, अदा करके उनसे ले लेगा, हालांकि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयर अपने पास रखने का विकल्प होगा.
  5. यदि विनियम 33 के उप-विनियम (3) के अनुसार अदा की जाने वाली कीमत विनियम 33 के उप-विनियम (4) के तहत बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को अदा नहीं की जाती है तो ऐसे में प्रोमोटर उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिन्होंने अनिवार्य असूचीबद्धता के प्रस्ताव के तहत अपने शेयर की पेशकश की हो.

ये कंपनियां परिसमापन के तहत है और इसलिए:

- ए. SEBI परिपत्र क्रं. SEBI/HO/CFD/DCR/CIR/P/2016/81 दिनांकित 07 सितंबर, 2016 का प्रावधान, इन कंपनियों पर लागू नहीं होता है.
- बी. परिसमापन के तहत वाली कंपनियों के लिए, निम्नलिखित मामलों में SEBI से नीचे दिए गए निर्देश प्राप्त हुए हैं:
  1. यदि कंपनी को अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति या बंद करने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है तो असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 में दिया गया प्रतिबंध लागू होगा.
  2. यदि कंपनी को अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति या बंद करने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध नहीं किया गया है तो असूचीबद्धता की प्रक्रिया कानूनी कार्यवाही द्वारा होगी और असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 में दिया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

प्रस्तावित असूचीबद्धता से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, 16 नवंबर 2021 से पहले तक लिखित रूप में एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को निवेदन कर सकता है, यदि कोई निवेदन हो तो.

निवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की संपूर्ण जानकारी वाला निवेदन नीचे दिए गए पते पर संबोधित किया जाना चाहिए:

असूचीबद्धता समिति (डिलिस्टिंग कमिटी), एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. संपर्क नं: +91 22 26598100 (23402/25061/25123), ई-मेल: compliance_listinginfo@nse.co.in

कंपनियों को उपरोक्त कंपनियों के संप्रवर्तक (प्रोमोटर)/ निदेशक की जानकारी 10 नवंबर 2021 से पहले तक अपडेट करने का निर्देश दिया जाता है. उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनियों के संप्रवर्तक (प्रोमोटर)/ निदेशक को भी एक्सचेंज से उपरोक्त टेलीफोन नंबर्स और ईमेल पते पर तत्काल संपर्क करने के लिए कहा जाता है.

स्थान : मुंबई **दिनांक : 26 अक्टूबर, 2021**

Nifty50